मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

8 अप्रैल, 2007
नई दिल्ली

मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में एक बार फिर हिस्सा लेने का अवसर पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मेलन कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। कार्यसूची के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के अलावा मुझे उम्मीद है कि आप सभी एक-दूसरे के सरोकारों और चिंताओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग करेंगे। सरकार के तीनों अंग जब तक एक-दूसरे को नहीं समझेंगे, तो वे राष्ट्र और व्यापक जन-समुदाय के हितों के लिए प्रभावकारी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत तीनों अंगों के अधिकार और कर्त्तव्य भली-भांति निर्धारित किए गए हैं। किन्तु तीनों अंगों का लक्ष्य समान है, जो हमारे गणराज्य के संस्थापकों के सपनों को पूरा करना और जिसे हमारे शानदार संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, इसलिए ऐसे सम्मेलन हमें उन समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करते हैं, जिनका सामना सरकार के अंगों को करना पड़ता है। इनमें विशेष रूप से वे मुद्दे शामिल हैं, जिनका सरोकार तीनों अंगों में परस्पर व्याप्त होता है।

पिछले वर्ष के सम्मेलन में मुझे न्यायिक सुधारों और ई-गवर्नेंस के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखने का अवसर मिला था। हमारी सरकार न्यायिक सुधारों को उच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि विधि संबंधी सुधार बेहतर शासन को प्रोत्साहित करने से संबद्ध संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक है। इस दिशा में मेरी सरकार पहले ही कुछ उपाय कर चुकी है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए प्रक्रियागत कानूनों में संशोधन किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में 'प्ली बार्गिनिंग' अर्थात् 'समझौता अभिवचन' की धारणा शामिल की गई है। इस बारे में न्याय पालिका के नेतृत्तव से सरकार को भरपूर सहायता और सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उच्चतम न्यायालय के दोनों प्रधान न्यायाधीशों और मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक सुधारों के बारे में व्यापक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और मैं इस बारे में उन सभी का आभारी हूं।

हमारी सरकार ने जांच और सुनवाई में व्यावसायिकता लाने और पुलिस द्वारा नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को निरंकुश तरीके से तंग किए जाने से संरक्षण प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष विचाराधीन है। इसका प्रयोजन गवाहों के मुकर जाने की समस्या से है। इसमें पीड़ितों को कानूनी अधिकार और मुआवजा प्रदान करने की भी व्यवस्था है। इससे जांच में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल में भी सुविधा होगी।

विधेयक में यह प्रावधान भी है कि तीन वर्ष तक की सजा से संबद्ध मामलों में समरी ट्रायल को अनिवार्य बनाया जाए।

इस सम्मेलन के लिए कुछ विचारणीय मुद्दे निर्धारित किए गए हैं। सबसे महत्तवपूर्ण मुद्दा ''पेंडेंसी'' यानी विचाराधीनता और अदालतों में लंबित मामलों का है। किए गए प्रयासों और किए जा रहे प्रयासों तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के बावजूद यह चिंता का विषय है कि अदालतों में ढ़ाई करोड़ से अधिक मामले बकाया हैं। इनमें से दो-तिहाई से अधिक आपराधिक मामले हैं। वरिष्ठ अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या में कमी लाने में कुछ प्रगति हुई है, परन्तु अधीनस्थ अदालतों में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मुझे पता चला है कि एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों की तुलना में अधिक होती है। मामलों के निपटान की दर में जब तक सुधार नहीं लाया जाएगा, तब तक बकाया मामलों की संख्या बढ़ती रहेगी। इसलिए मामलों के निपटाने में तेजी लाना अत्यंत आवश्यक है। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो कानून के शासन में गौरव महसूस करते हैं। यदि कानून के शासन को जीवन्त वास्तविकता बनाना है तो न्याय में विलम्बता और बकाया मामलों की समस्या से कारगर ढंग से निपटना होगा।

अदालतों में मामलों की विचाराधीनता में बढ़ोतरी से संबद्ध एक महत्तवपूर्ण पहलू अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर भर्ती न किया जाना है। यह ऐसा मुद्दा है, जहां राज्यों और उच्च न्यायालयों को आगे आना होगा और रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी होगी और उसे अमलीजामा पहनाना होगा। मुझे विश्वास है कि रिक्तियां भरे जाने के बाद लंबित मामलों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आएगी।

मैं बुद्धिमान न्यायाधीशों से यह अपील भी करता हूं कि मामलों को निपटाने की गति में तेजी लाने के लिए वे एक अन्य सुझाव पर भी विचार करें। अदालतों को एक से अधिक शिफ्टों में काम करने पर विचार करना चाहिए। आप भली-भांति जानते हैं कि सरकार अदालतों में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने और उन्हें ई-एनेबल्ड यानी इलेक्ट्रोनिक दृष्टि से सक्षम बनाने में रुचि ले रही है। देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और उन्हें उच्चतम न्यायालय के साथ जोड़ने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का पहला चरण शीघ्र लागू किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कम्प्यूटरीकरण से हमारी अदालतों को विचाराधीनता में कमी लाने में मदद मिलेगी।

लंबित मामलों की समस्या से निपटने का एक अन्य विकल्प फास्ट ट्रैक अदालतें हैं। शुरू में फास्ट ट्रैक अदालतों की योजना 2005 में समाप्त होने वाली थी, पर हमारी सरकार ने इसे 2010 तक बढ़ा दिया है। इसके लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 509 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि इस बारे में राज्यों से मिलीं धन के उपयोग संबंधी रिपोर्टें संतोषजनक नहीं हैं और यही वजह है कि धन के वितरण में देरी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि राज्य

सरकारें इस मुद्दे पर ध्यान देंगी और प्रक्रिया में तेजी लाएंगी ताकि इस महत्तवपूर्ण प्रयोजन के लिए केंद्रीय सहायता का सुचारू वितरण हो सके।

फास्ट ट्रैक अदालतों के कामकाज के बारे में अच्छी रिपोर्ट मिली है। आपके सम्मेलन का विषय है ''फास्ट ट्रैक यानी तीव्र गति से न्याय प्रबंधन''। मुझे विश्वास है कि सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से हमारी न्याय वितरण प्रणाली में इस ट्रैक को और मजबूती मिलेगी। मुझे आपके विचार-विमर्श के निष्कर्षों का इंतजार रहेगा। मुझे भरोसा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन के नेतृत्तव में इस सम्मेलन में वे मुद्दे उठाएंगे जाएंगे जिनका सामना हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि न्यायमूर्ति बालकृष्णन, न्यायपालिका में सुधार और उसके आधुनिकीकरण के प्रति वचनबद्ध हैं। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ नए उपाए निश्चित रूप से किए जाएंगे, ताकि मुकद्दमों में फंसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को पुनर्बलित और सुदृढ़ किया जा सके।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार न्यायिक ढांचे के विकास में अधिक निवेश करके न्यायपालिका की सहायता करने में सक्षम रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री भारद्वाज ने बताया कि अदालत भवनों और न्यायाधीशों के लिए आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए दस वर्ष की संदर्श योजना भी तैयार की गई है। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले धन पर आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए परिव्यय निर्धारित करने के बारे में हम योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

आपके समक्ष विचारणीय अन्य महत्तवपूर्ण मुद्दा परिवार अदालतों के गठन से संबंधित है। मुझे पता चलता है कि कई राज्यों में अभी तक परिवार अदालत अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार परिवार अदालतों का गठन नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इन अदालतों का गठन किया जाएगा।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका, तीनों का संविधान और लोगों के प्रति ये दायित्व है कि वे सद्भावपूर्वक कार्य करें। लोगों के कल्याण और उनकी खुशहाली में बढ़ोतरी लाने में सरकार के प्रत्येक अंग को अनिवार्य एवं महत्तवपूर्ण भूमिका अदा करनी है। संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग की भूमिका और दायित्व निर्धारित किए गए हैं और उनका निर्वाह पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए। प्रत्येक अंग को अन्य अंग की भूमिका और कार्यों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। यह जरूरी है कि प्रत्येक अंग अपने प्रदत्ता अधिकारों का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करे।

न्यायिक सुधारों के संदर्भ में प्राथमिक दायित्व कानून के शासन को लागू करना, संविधान का सम्मान और सरकार के किसी भी अंग के दायित्वों का निर्वाह सुनिश्चित करना है। यह सही है कि इस प्रक्रिया में हमारी न्यायपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु इसके साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसे व्यापक दायित्व भी सौंपे

गए हैं। असंख्य ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें अदालतों ने सम्माननीय और सुधारात्मक भूमिका अदा की है। लोगों की नजरों में अदालतों का सम्मान बहुत ऊंचा है। लेकिन इसी के साथ न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति-व्याप्ति को विभाजित करने वाली रेखा बहुत पतली है। उदाहरण के तौर पर मैंडामस यानी किसी अधिकारी को सार्वजनिक या वैधानिक दायित्व पूरा करने का न्यायिक आदेश न्यायपालिका का अंतर्निहित अधिकार है। इसके जरिए राज्य के अधिकारियों को कार्रवाई करने को कानूनी रूप में बाध्य किया जाता है, लेकिन मैंडामस के विकल्प के रूप में यदि सरकार के अन्य अंग के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया जाए तो मामला अति-व्याप्ति का हो जाता है। यह सभी बारीक मुद्दे हैं जिनका निपटारा सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है। न्यायपालिका सहित सभी अंगों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बीच विभाजक रेखाओं का अतिक्रमण न हो। इससे सामंजस्यपूर्ण कार्य प्रणाली सुनिश्चित की जा सकेगी।

जनहित मुकद्दमेबाजी के मामले में भी यही बात लागू होती है। सुधारात्मक कार्रवाई करवाने में जनहित के मुकद्दमों का महत्तव है। परन्तु, जनहित के मुकद्दमों को राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के लक्ष्य सिद्ध करने का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। जनहित मुकद्दमों की पहचान के लिए हमें मानक और मानदंड तय करने की आवश्यकता है, ताकि जनहित के ऐसे उचित मुकद्दमों को ही उठाया जा सके, जो न्याय के सही मानदंडों और न्यायिक उद्देश्य से प्रेरित हों। इससे न्यायिक फैसलों में संगति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय इस बारे में नियम तय करके नेतृत्तव प्रदान कर सकता है।

इस तरह के सम्मेलन हमें एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और अपने-अपने दायित्वों का मिलकर निर्वाह करने में हमारी सहयता करने में महत्तवपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि विचार-विमर्श के दौरान इसी भावना से काम लिया जाएगा। मैं इस प्रयास में आपकी सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

****